न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 96 / 2014

जोगेन्द्र कौर पत्नी बलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढ कुलीयन तहसील मुकेरिया जिला होशियारपुर जरिये मुखत्यारआम जसपालसिंह पुत्र रणधीर सिंह निवासी कठियान तहसील व जिला लुधियाना। —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमिन्द्र कौर पत्नी बहादरपालसिंह जरिये जटसिख निवासी 150 Monte Verano CT 180 SAN JOSE CA 95116(USA)
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 22.10.2014

उपस्थिति:–

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मलकीतसिंह नंदा अभिभाषक रेस्पों.
श्री महावीर धारणीया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 20.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 183 का पेश कर यक 1 जैड के मुन. 56 के 20.18 बीघा, मुन. 58 के 12.14 बीघा कुल 33.12 बीघा जो कौशल्यादेवी के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज है में से वादिया के नाम से 4.16 बीघा का खातेदार घोषित करने एवं उक्त भूमि का कब्जा दिलाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाव दावा पेश कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 22.10.2014 को वादिया का वाद खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध वादिया/अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

20/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों इस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के नाम वाद 1 जैड के खाता संख्या 7/8 संयुक्त खाता में 4-16/20 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जबतक इस इस भूमि का बंटवारा नहीं हो जाता तबतक भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर कोई बेचान किया गया है तो वह अवैध एवं शून्य है। रेस्पो.संख्या 1 ने अपीलांट को धोखा में रखकर जमीन हड़पने की नियत से बिना प्रतिफल दिये दस्तावेज बना लिया है जो शुरू से शून्य है। अधी.न्यायालय ने दावा को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं मानकर खारिज करने में भूल की है जबकि पूर्व में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में जब वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार अधी.न्यायालय को प्राप्त है तो वाद का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि को बेचान अपीलार्थी द्वारा जरिय पंजीकृत बैयनामा किया जा चुका है एवं बैयनामा को निरस्त करवाने का वाद भी सिविल न्यायालय से खारिज हो चुका है ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय ने वादिया का वाद खारिज करने कोई भूल नहीं की है। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पो. ने 1977 आरएलडब्लू 131, 2018(2)डीएनजे 421, 2016(3) डीएनजे 1151, 1995 (राज) डीएनजे 36, 2014(3) आरएलडब्लू 2069, 1984 आरआरडी 146, 1994 आरआरडी 98, 2002 आरआरडी 209, 1975 आरआरडी 179 की नजीरे पेश की ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी.न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश करने पर उक्त प्रार्थना पत्र दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 05.04.2004 को खारिज किया जा चुका है। इस बिन्दु पर अधी.न्यायालय द्वारा दावा खारिज करना अधी.न्यायालय का निर्णय Fall of Contradictions अतः दावे का निर्णय गुणावगुण के आधार पर विधिक

20/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अनुतोष है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दावे एवं जबाव दावा के आधार पर तनकीयात कर उन पर साक्ष्य संग्रहित कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर